न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी
आई.ए.एस.

रेफरेंस सं0 01/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

.. प्रार्थी

बनाम

कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा (सहभागी सदस्यगण)
1.श्री मदन लाल पुत्र कल्याण सहाय जाति ब्राहमण (नाम हजफ)
2.श्री घनश्याम पुत्र मदन लाल जाति ब्राहमण (नाम हजफ)
1.2/1 श्रीमती रजनी पत्नि महेश कुमार गुप्ता जाति महाजन निवासी दौसा जिला दौसा
1.2/2 श्रीमती मनीषा पत्नि कमलेश कुमार गुप्ता जाति महाजन निवासी दौसा जिला दौसा
1.2/3 श्रीमती मन्जू पत्नि महेन्द्र कुमार जोशी जाति ब्राहमण निवासी दौसा जिला दौसा

.. अप्रार्थीगण

रेफरेंस अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956
उपस्थितः 1. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री सुनील कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक 22.04.2022

संक्षिप्त में रैफरेन्स प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय का रैफरेन्स प्रस्तुत किया गया कि कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा तहसील दौसा के 26 सहभागी पाकिस्तानी विस्थापित शरणार्थियों के जीवन निर्वाह हेतु दिनांक 10.06.1949 को ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा में आराजी खसरा नंबर 29 रकबा 311 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 30 रकबा 74 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 67 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 71 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 74 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 75 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 77 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 78 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 92 रकबा 22 बीघा, खसरा नंबर 93 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 94 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 97 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 98 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 99 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 100 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 101 लगा0 147 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 151 लगा0 165 रकबा 42 बीघा 6 बिस्वा, कुल रकबा 556 बीघा 3 बिस्वा का आवंटन किया गया था। जिसके आधार पर उक्त आवंटित भूमि बाबत कृषि सहकारिता के अनुसार कृषकों की सोसायटी दलेलपुरा का दिनांक 27.06.1949 को कमांक 423 एल/27.6.49 को पंजीयन हुआ। उक्त कृषि सहकारी संस्था कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी आदि में खातेदारी इन्द्राज किया गया। तत्पश्चात उक्त कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा [illegible] में नहीं रहने के कारण राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 78 के [illegible] दिनांक 18.02.1986 को अवसायन हो जाने के फलस्वरुप सहायक रजिस्ट्रार [illegible] समितियाँ दौसा के आदेश दिनांक 31.3.1996 के द्वारा उक्त पंजीयन निरस्त कर दिया गया [illegible] प्रबंध कार्यवाही के [illegible] भू प्रबंध

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.05.19 16:17:47 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...2 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विभाग द्वारा तैयार खतौनी संवत 2041 में विभाग द्वारा सहकारी समिति दलेलपुरा के नाम दर्ज भूमि में से 51.94 है0 भूमि कोपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के नाम अंकित रखते हुए शेष भूमि 87.86 है0 भूमि 17 व्यक्त्यिों के नाम अलग–2 खातेदारी में अंकित करने का कोई कानूनी क्षेत्राधिकार नहीं था। उक्त सहकारी संस्था का अवसायन हो जाने एवं पंजीयन निरस्त हो जाने के कारण उक्त प्रश्नगत आराजी व्यक्तिगत खातेदारी में कानूनन अंकित नहीं की जा सकती थी तथा राज्य सरकार के हित में पुनर्ग्रहण की जानी चाहिए थी। इसी क्रम में उक्त 17 व्यक्तियों में अप्रार्थीगण के नाम खसरा नंबर 278 रकबा 1.18 वाके ग्राम दलेलपुरा की खातेदारी अंकित करदी गई है, जो कि उक्त कार्यवाही पूर्णतः अवैध है। ऐसी दशा में उक्त आराजी राजहित में पुनर्ग्रहित किये जाने योग्य है। साथ में आवंटन आदेश दिनांक 10.6.1949 व कोपरेटिव सोसायटी पंजीयन आदेश दिनांक 27.6.1949 भूमि एकीकरण संवत 2018 व 2019 की खतौनी खाता संख्या 12 एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ दौसा के आदेश दिनांक 31.3.1996 व वर्तमान जमाबंदी आदि की प्रति उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की, जिस पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, इसी दरमियान अप्रार्थीगण रजनी पत्नि महेश कुमार गुप्ता, मनीषा पत्नि कमलेश कुमार गुप्ता, मन्जू पत्नि महेन्द्र कुमार जोशी निवासी दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण में बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार बनने की प्रार्थना की गई। जिस पर दोनों पक्षकारान की बहस सुनी जाकर उन्हे उक्त प्रकरण में बतौर अप्रार्थीगण मदनलाल व घनश्याम के स्थान पर अप्रार्थीगण संख्या 1.2/1 से 1.2/3 अप्रार्थीगण बनाया गया।

अप्रार्थीगण रजनी पत्नि महेश कुमार गुप्ता, मनीषा पत्नि कमलेश कुमार गुप्ता, मन्जू पत्नि महेन्द्र कुमार जोशी निवासी दौसा द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र रेफरेंस प्रस्तुत किया गया एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 20.4.1998 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 27.9.2001 जो कि सिविल रिट याचिका नंबर 4709/2001 में पारित किया गया कि सत्य प्रतिलिपियॉ आदि प्रस्तुत कर बहस में निवेदन किया कि आवंटन आदेश दिनांक 10.6.1949 के अनुसार प्रश्नगत भूमि सिवायचक थी, जिसका आवंटन भारत पाक विभाजन के समय पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त से विस्थापित होकर भारत आये शरणार्थी पंजाबी 26 कृषकगण परिवार के नाम पृथक–पृथक किया गया था। आवंटीगण आवंटित भूमि पर काश्त करते रहे एवं आराजीयात की सिंचाई तत्समय जमवारामगढ बांध से निकलने वाली नहर से भी होती थी तथा उक्त भूमि पर काश्तकारों ने कूप भी बनवा लिये थे। आवंटी काश्तकारों द्वारा भूमि की जुताई बुवाई के लिए सरकार से ऋण लेने हेतु कृषि सहकारी समिति का गठन कर लिया। जिसके कारण भूमि की खातेदारी कृषि सहकारी समिति के नाम अंकित कर दी गई, जबकि भू आवंटन पृथक–2 नामों से हुआ तथा [illegible] पृथक अंकित हुई एवं काश्त भी पृथक–पृथक करते थे। आवंटन आदेश आ[illegible] व्यक्तिगत नाम से किया गया था ना कि कॉपरेटिव सोसायटी दले[illegible]आदेश को देखे जाने से भी उक्त आवंटन आदेश व्यक्तिगत व्यक्ति[illegible] आवंटित की गई थी, न कि कॉपरेटिव सोसायटी के नाम [illegible] द्वारा उक्त आराजी के उत्थान हेतु यदि कोई कॉपरेटिव सोसायटी की संरचना कर ली गई तथा कालान्तर में यदि उक्त कॉपरेटिव सोसायटी अस्तित्व में नही रहती है तो उक्त आराजी पूर्व की भॉति आवंटियों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.05.19 16:17:47 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...3 पर

नाम व्यक्तिशः दर्ज होनी चाहिए। कॉपरेटिव सोसायटी बना दिये जाने मात्र से आराजी पर राजस्थान सरकार के हित निहित नहीं हो सकते है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस जारी रखते हुए कहा कि पूर्व में इन्ही आवंटियों में से राजस्थान सरकार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.4.1998 के उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी राजस्थान सरकार तहसीलदार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत सिविल रिट याचिका नंबर 4709/2001 में पारित निर्णय दिनांक 27.9.2001 की सत्य प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत कर अपने कथन के समर्थन में कहा गया कि उक्त निर्णय फाइनल हो गया है तथा उक्त आवंटन आदेश दिनांक 10.6.1949 पूर्व आवंटियों के व्यक्तिगत नाम से था न कि कॉपरेटिव सोसायटी के नाम से, तो उक्त निर्णय उक्त प्रश्नगत आराजी के सम्पूर्ण खातेदारान पर चस्पा एवं प्रभावी होता है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 27.9.2001 के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश कानूनन पारित नहीं किया जा सकता है। उक्त सम्पूर्ण तथ्य छिपाते हुए राजस्थान सरकार द्वारा उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत उक्त रेफरेन्स प्रकरण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने बाबत प्रार्थना की गई।

प्रार्थी राजस्थान सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर तथा राजस्थान सरकार द्वारा उक्त प्रकरण के अन्य समानान्तर प्रकरणों में पारित आदेशों एवं निर्णयों के अनुसार प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तहसीलदार दौसा के आदेश दिनांक 10.6.1949 के द्वारा शरणार्थी 26 परिवारों को तत्कालीन ऑफिस काननूगो एवं पटवारी कस्बा दौसा द्वारा ग्राम दलेलपुरा स्थित सरकारी भूमि खसरा नंबर 29 रकबा 311 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 30 रकबा 74 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 67 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 71 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 74 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 75 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 77 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 78 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 92 रकबा 22 बीघा, खसरा नंबर 93 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 94 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 97 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 98 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 99 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 100 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 101 लगा0 147 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 151 लगा0 165 रकबा 42 बीघा 6 बिस्वा, कुल रकबा 556 बीघा 3 बिस्वा का सुपुर्दगीनामा तैयार कर आवंटित भूमि का कब्जा दिनांक 16.6.1949 को विस्थापित परिवारों को [illegible] दिया गया था। सरकार की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स में उल्लेख किया गया है कि आवंटित भूमि बाबत कृषि सहकारिता के अनुसार कृषकों की कॉपरेटिव सोसायटी [illegible] दिनांक 27.6.1949 को पंजीयन हुआ है जिसका पंजीयन क्रमांकः 423 एवं दिनांक 27.6.1949 है। अर्थात प्रार्थी सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेन्स से यह सिद्ध होता है कि आवंटन व्यक्तिशः पहले हुआ है, तत्पश्चात

निरंतर ...4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.05.19 16:17:47 IST
Reason: SelfAttested

सोसायटी का गठन हुआ है। दिनांक 16.6.1949 सुपुदर्गीनामें में आवंटी बग्गामल को कब्जा संभलाने का उल्लेख है। आवंटी बग्गामल द्वारा खातेदारी दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र में सोसायटी बनाने एवं ऋण जमा करवा दिया जाना व्यक्त करते हुए खातेदारी दिये जाने का निवेदन किया गया है। तत्पश्चत भू प्रबंध अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 30.11.1981 के अनुसार उपरोक्त आवंटित भूमि कुल रकबा 556 बीघा 03 बिस्वा में से अपील संख्या 90/1981 से 93/1981 स्वीकार कर खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये है। तत्पश्चात भू प्रबंध अधिकारी जयपुर के आदेश के विरूद्ध भू प्रबंध आयुक्त के द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 10.01.1990 को रैफरेन्स के आदेश दिये गये, जिसका उल्लेख माननीय राजस्व मण्डल के रैफरेन्स संख्या 741/1997 से 744/1997 है। उक्त रैफरेन्स में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पारित निर्णय दिनांक 20.4.1998 के अनुसार भू प्रबंध आयुक्त के निर्णय को खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय में आवंटन व्यक्तिशः पहले हुआ है, बाद में सहकारी समिति का गठन होना व्यक्त किया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध सहायक कलक्टर दौसा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 4709/2001 प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट को दिनांक 27.09.2001 को खारिज कर दिया गया। उक्त सिंगल बैच के निर्णय के विरूद्ध सरकार की ओर से डबल बैंच में अपील संख्या 315/2004 प्रस्तुत की गई जिसको माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने दिनांक 21.09.2005 को खारिज कर दिया गया। पूर्व इसी प्रकरण के समानान्तर अन्य प्रकरण में राजस्थान सरकार जरिये सहायक कलक्टर दौसा की ओर से एक रिट और प्रस्तुत की गई जो रिट पिटीशन नं0 2025/1999 है, जिसको राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। इस न्यायालय द्वारा निर्णित रैफरेन्स प्रकरण संख्या 22/2008 निर्णय दिनांक 20.10.2015 एवं रैफरेन्स प्रकरण संख्या 03/2008 निर्णय दिनांक 01 जनवरी 2020 खारिज किया गया है। कार्यालय जिला कलक्टर दौसा की ओर से अन्य समानान्तर प्रकरण में न्यायालय के निर्णय की पालना के संबंध में तहसीलदार दौसा को राजस्व शाखा के माध्यम से पत्र कमांक:2795 दिनांक 24.6.2014 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये है। इसी कम में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.6.2013 की पालना के संबंध में राजकीय अधिवक्ता से विधिक राय ली गई थी । उक्त राय में अन्य समानान्तर प्रकरण में निर्णय की पालना के लिए लिखा गया है। अन्य समानान्तर प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा रैफरेन्स संख्याः एलआर/5326/2015/दौसा निर्णय दिनांक 04.12.2015 द्वारा खारिज किया गया है। तत्कालीन जिला कलक्टर दौसा द्वारा अन्य समानान्तर प्रकरण में राजस्व शाखा के माध्यम से पत्र कमांक:892 दिनांक 15.3.2014 मार्गदर्शन चाहे जाने पर राजस्व (ग्रुप–7) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश कमांक: प.3(82) [illegible] /2014 दिनांक 16.6.2014 एवं विधि (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश कमांक [illegible] 2(1)(98)विधि/ 06/2014 दिनांक 6.6.2014 के अनुसार राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.6.2013 को विधिसम्मत माना है एवं न्यायालय के आदेश [illegible] पालना करने के निर्देश दिये गये है। अन्य समानान्तर प्रकरण उनवानी किशोरीलाल वगै0 बनाम सरकार में माननीय राजस्व मएडल,

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.05.19 16:17:47 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...5 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रैफरेंस सं0 01/2021

अजमेर द्वारा खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। इसी क्रम में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने रैफरेन्स संख्या एलआर/5629/ 2018/ दौसा सरकार बनाम कॉपरेटिव सोसायटी निर्णय दिनांक 24.5.2019 एवं अन्य समानान्तर प्रकरण में रैफरेन्स खारिज किया गया है। इस प्रकार हम उभयपक्ष की बहस एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने पर विचाराधीन रैफरेन्स प्रकरण समरूप प्रकृति का होने एवं समस्त निर्णयों एवं आदेशों से बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार दौसा की ओर से आराजी भूमि खसरा नंबर 278 रकबा 1.18है. वाके ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा के सम्बन्ध में प्रस्तुत रैफरेन्स संख्या 01/2021 समरूप प्रकृति का होने के कारण एवं उपरोक्त वर्णित समस्त निर्णयों एवं आदेशो से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 22 अप्रेल 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.05.19 16:17:47 IST
Reason: SelfAttested